संख्या 1167 / व0ग्रा0वि02001

प्रेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त.

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल.

वन एवं ग्राम्य विकास विभाग (आ.शा.): देहरादून, दिनांक 03 दिसम्बर 2001

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत जो अवस्थापना मद हेतु मात्राकृत है, के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि उक्त धनराशि का उपयोग बिना शासन की अनुमति के न किया जाये. जिन जनपदों के मुख्यालय शहरों में हैं वे मुख्यालय के समीपस्थ गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पोली हाऊस लगवाकर सब्जी उत्पादन का कार्य करवायेंगे. जिन जनपदों के मुख्यालय बड़े शहरों में नहीं है। वे अवस्थापना मद के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के उपयोगार्थ योजना तैयार कर शासन को प्रेषित करेंगे तथा शासन से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही उक्त धनराशि का उपयोग करेंगे.

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये.

भवदीय
(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित.

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त